अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1475(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12.03.1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 198(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सवाली" (मंदबुद्धि और प्रमस्तिष्क बच्चों का संघ), अलंकार प्लाट संख्या-14, क्रम संख्या 133, कोठरूड, पुणे-411029" द्वारा कोठरूड पुणे, महाराष्ट्र में प्रमस्तिष्क बच्चों और शिक्षा संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से प्रौढ़ों के सामाजिक-आर्थिक संवर्धन और उपस्कर की खरीद" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारम्भ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना से सां. आ 857 (अ) द्वारानिर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 20 मई, 2004 की अधिसूचना सं. सां. आ. 607 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 479 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. सां. आ. 249 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 12.3.2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 665 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के साथ समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत दिनांक 12.03.2013 की अधिसूचना संख्या का. आ. 665(अ) द्वारा परियोजना लागत को 71.21 लाख रूपये से 171.21 रूपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अट्ठारह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा "सवाली" (मंदबुद्धि और प्रमस्तिष्क बच्चों का संघ), अलंकार प्लाट संख्या-14, क्रम संख्या 133, कोठरूड, पुणे-411029" द्वारा चलाई जा रही कोठरूड पुणे, महाराष्ट्र में प्रमस्तिष्क बच्चों और शिक्षा संस्थागत देखभाल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन के माध्यम से प्रौढ़ों के सामाजिक-आर्थिक संवर्धन और उपस्कर की खरीद" की परियोजना अथवा स्कीम को 171.21 लाख रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 129/2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मक्खन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)